राष्ट्रीय सेवा योजना
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

डॉ. कृष्ण कुमार सिंह
कार्यक्रम समन्वयक

मो०नं०– 9452400911
ईमेल- kksinghd@gmail.com
nssjncu@gmail.com

पत्रांक- जे.एन.सी.यू./एन.एस.एस./48/2023-24 दिनांक- 28/01/2024

प्रेषक,

डॉ० कृष्ण कुमार सिंह,
कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय सेवा योजना,
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,
बलिया।

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त महाविद्यालय

विषय :– सत्र 2023–24 हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना के इकाई गठन एवं कार्यक्रमों के प्रभावी आयोजन के सन्दर्भ में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में शासन के पत्र संख्या–आवं0 05/सत्तर–रा0से0यो0को0–2023–21/2017 दिनांक 05/12/2023 द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित कार्यक्रम हेतु प्रति इकाई आवंटित नियमित छात्र संख्या–100 विशेष शिविर हेतु आवंटित छात्र सं0–50 की गयी है। इस कार्यालय के पत्रांक – जे0एन0सी0यू0/एन0एस0एस0/7/2023–24 दिनांक–13/12/2023 द्वारा इस सम्बन्ध में सूचना दी गई थी। इसी क्रम में आपसे अपेक्षित है कि दिनांक 31 जनवरी, 2024 तक अपने सम्मानित महाविद्यालय को आवंटित छात्र व इकाई संख्या के अनुसार इकाई गठित कर इसकी सूचना से (आवश्यक प्रपत्र व पंजीकरण शुल्क सहित) अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यह सूचना प्राप्त होने/विलम्ब से प्राप्त होने की दशा में महाविद्यालय को समय से अग्रिम राशि जारी करना सम्भव नहीं होगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।

राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई गठन में अधोलिखित बिन्दूओं का अनुपालन अनिवार्य है :–

1. किसी भी दशा में नियमित कार्यक्रम/विशेष शिविर हेतु आवंटित छात्र संख्या से अधिक स्वयंसेवकों को पंजीकृत/सम्मिलित न किया जाय।
2. राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित कार्यक्रम एवं विशेष शिविर में केवल स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को ही प्रविष्ट किया जाय।

 कृसिंह

Scanned with OKEN Scanner

3. राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रमों में सहभागिता करने को इच्छुक प्रत्येक स्वयंसेवक का पंजीकरण निवेश–पत्र के द्वारा किया जायेगा। इस निवेश पत्र की एक प्रति (जिसके साथ विद्यार्थी के हाईस्कूल के अंकपत्र/प्रमाण–पत्र की छायाप्रति तथा वर्तमान सत्र के फीस रसीद की छायाप्रति संलग्न हो) तथा पंजीकरण शुल्क (रू0 500 प्रति इकाई) अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय। निवेश–पत्र पर स्वयंसेवक/स्वयंसेविका का मोबाइल नम्बर, ईमेल व उनके मतदाता बनने की स्थिति का विवरण भी अवश्य अंकित किया जाना चाहिए। ऐसे महाविद्यालय जिनके पास निवेश पत्र का प्रारूप उपलब्ध नहीं है, वे इसे विश्वविद्यालय के वेबसाइट या रा0से0यो0 के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। जिन महाविद्यालयों के कार्यक्रमाधिकारियों का कार्यकाल पूरा हो गया है, वे कृपया 31 जनवरी, 2024 तक नये कार्यकमाधिकारियों के नियुक्ति/कार्यकाल विस्तार हेतु प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को अवश्य उपलब्ध करा दें ताकि कार्यक्रमाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जा सके। जिन कार्यक्रमाधिकारियों ने सात दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन्हीं का कार्यकाल विस्तार सम्भव है।

4. जिन महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई संख्या में वृद्धि हुई है उन महाविद्यालयों से भी अपेक्षित है कि वे नये कार्यक्रमाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया 31 जनवरी, 2024 तक पूर्ण करा लें। इस हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अधोहस्ताक्षरी को तीन अध्यापकों की सूची प्रेषित करनी होगी जिसमें से किसी एक की नियुक्ति माननीय कुलपति जी द्वारा की जायेगी। कार्यक्रमाधिकारियों के नियुक्ति हेतु अध्यापकों के नाम प्रेषित करने से पूर्व उन अध्यापकों से स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर लें क्योंकि एक बार नियुक्ति हो जाने के उपरान्त उसमें परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।

5. जिन महाविद्यालयों को नई इकाई आवंटित हुई है उनसे अपेक्षित है कि वे अपने महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना का Zero Balance Subsidiary Account (ZBSA) चालू खाता (Current Account) प्राचार्य के नाम से भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में खुलवा लें क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा रा0से0यो0 के अनुदान की राशि उसी खाते में निर्गत की जायेगी।

6. यह भी सूचित करना है कि शासनादेश के अनुसार समस्त कार्यक्रम अधिकारियों को कार्यक्रमाधिकारियों के रूप में नियुक्त होने के एक वर्ष के भीतर सात दिवसीय अभिविन्यास प्रशिक्षण (Orientation Training) प्राप्त करना अनिवार्य है। यह प्रशिक्षण

Scanned with OKEN Scanner

1. इम्पैनल्ड प्रशिक्षण केन्द्र, राष्ट्रीय सेवा योजना, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, 2. इम्पैनल्ड प्रशिक्षण केन्द्र, इण्डिया लिटरेसी बोर्ड, साक्षरता निकेतन, कानपुर रोड, मानस नगर, लखनऊ एवं 3. इम्पैनल्ड प्रशिक्षण केन्द्र, राष्ट्रीय सेवा योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली से निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार निरन्तर आयोजित किये जा रहे हैं। अतः नवनियुक्त समस्त कार्यक्रमाधिकारियों एवं ऐसे पुराने कार्यक्रमाधिकारियों, जिन्होंने अभी तक अभिविन्यास प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, से अपेक्षा की जाती है कि वे यथाशीघ्र प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। सत्र 2023–24 के अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय–सारिणी व आवेदन–पत्र की छायाप्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जायेगी। यह भी सूच्य है कि उक्त तीनों संस्थाओं के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थान द्वारा प्रदत्त कोई भी अभिविन्यास प्रशिक्षण राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रमाधिकारियों हेतु मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाला दो दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण केवल आधारभूत जानकारी प्रदान करने के लिए है। अतः समस्त प्राचार्यों से अनुरोध वे अपने महाविद्यालय के कार्यक्रमाधिकारियों को सात दिवसीय अभिविन्यास प्रशिक्षण में सहभागिता हेतु अवश्य भेजें।

7. कतिपय महाविद्यालयों द्वारा अभी तक सत्र 2021–22 का व्यय विवरण, उपभोग प्रमाण–पत्र एवं वार्षिक आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अतः अविलम्ब इसे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाय अन्यथा की स्थिति में सत्र 2023–24 में आपके महाविद्यालय की इकाई निरस्त की जा सकती है। इसी प्रकार कुछ महाविद्यालयों द्वारा अभी तक वित्तीय अभिलेखों का ऑडिट नहीं कराया गया है, जिसके कारण ऑडिट की प्रक्रिया रूकी हुई है। अतः इसे अनिवार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

8. <u>सलाहकार समिति का गठन एवं बैठक</u> :– राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमों के महाविद्यालय स्तर पर प्रभावी आयोजन हेतु आवश्यक है कि सलाहकार समिति का गठन कर उसकी बैठक यथाशीघ्र कर लें। इस बैठक में सत्र की कार्ययोजना विस्तारपूर्वक चर्चा के उपरान्त तय कर ली जाय। महाविद्यालय की सलाहकार समिति का गठन अधोलिखित ढंग से होगा :–

1. प्राचार्य	–	अध्यक्ष
2. समस्त कार्यक्रमाधिकारी	–	सदस्य
3. एक वरिष्ठ प्राध्यापक/पूर्व कार्यक्रमाधिकारी	–	सदस्य

Scanned with OKEN Scanner

3. एक वरिष्ठ प्राध्यापक/पूर्व कार्यक्रमाधिकारी – सदस्य

4. चयनित ग्राम/मलिन बस्ती के प्रधान/वार्ड मेम्बर – सदस्य

सलाहकार समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों की सूचना अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करवायी जाय।

9. **विभिन्न दिवसों का आयोजन**– सत्र 2023–24 में समस्त कार्यक्रमाधिकारियों को नियमित कार्यक्रम के अन्तर्गत 120 घण्टे की कार्य योजना बनानी है, जिसमें चार एक दिवसीय शिविर भी सम्मिलित हैं। इन कार्यक्रमों में रेड रिबन क्लब का गठन एवं कार्यक्रमों का आयोजन जैसे- रक्तदान शिविर, एड्स पर जागरूकता शिविर, मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव पर जागरूकता कार्यक्रम इत्यादि, पौधारोपण कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, जागरूकता रैलियां, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, साक्षरता अभियान, कूड़ा प्रबन्धन हेतु जागरूकता, जल संरक्षण जागरूकता, सड़क सुरक्षा जागरूकता, श्रमदान कार्यक्रम आदि हो सकते हैं। इन विषयों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार किसी भी सामाजिक मुद्दे पर कार्यक्रम हो सकते हैं। इन कार्यक्रमों में सभी स्वयंसेवकों की सहभागिता अनिवार्य है। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त या साथ में इस सत्र में अधोलिखित प्रमुख दिवसों पर भी गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है :–

1. शहीद दिवस- 30 जनवरी
2. विश्व सामाजिक न्याय दिवस – 20 फ़रवरी
3. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस- 28 फरवरी
4. अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस–8 मार्च
5. विश्व वन दिवस–21 मार्च
6. विश्व जल दिवस- 22 मार्च
7. विश्व तपेदिक/क्षयरोग दिवस- 24 मार्च

प्रत्येक स्वयंसेवक की वर्ष भर में नियमित कार्यक्रम में 120 घंटे की सहभागिता अनिवार्य है तथा किये गये कार्य का विवरण डायरी में तिथिवार अंकित किया जाय। प्रमुख दिवसों का डिजिटल प्रतिवेदन अवश्य तैयार किया जाय तथा इन दिवसों पर आयोजित कार्यक्रमों की आख्या/फोटोग्राफ तथा अखबारों की कतरनों को समय–समय पर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय। **सत्र समाप्ति के उपरान्त प्रत्येक इकाई का प्रतिवेदन– फोटोग्राफ व अखबार की कतरनों सहित अधोहस्ताक्षरी को 15 अप्रैल, 2024 तक** अवश्य प्राप्त हो जाना

Scanned with OKEN Scanner

चाहिए, जिसमें इकाई के द्वारा आयोजित अधोलिखित कार्यक्रमों का विवरण अवश्य होना चाहिए–

1. इकाई द्वारा साक्षर किये गये व्यक्तियों की संख्या–
2. इकाई द्वारा रक्तदान शिविर के आयोजनों की संख्या तथा दान किये गये रक्त का विवरण (यूनिट में)–
3. इकाई के स्वयं सेवकों के माध्यम से रोपित किये/करवाये गये पौधों की संख्या–
4. जल संसाधन प्रबन्धन हेतु किये गये प्रयास व परिणाम–
5. स्थायी परिसम्पतियों के निर्माण का विवरण–
6. कार्यशाला/गोष्ठी आदि का आयोजन–
7. मतदाता जागरूकता हेतु किये गये प्रयास–
8. अन्य महत्वपूर्ण कार्य (स्पष्ट उल्लेख करें)–

10. **नियमित कार्यक्रमों हेतु कार्य योजना–** सत्र 2023–24 में आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों कार्य योजना बनाते समय अधोलिखित पर विशेष ध्यान दें–

1. कार्ययोजना न्यूनतम 120 घंटे के नियमित कार्यक्रमों की होगी।
2. इसमें चयनित ग्राम में 4 एकदिवसीय शिविर (प्रत्येक 8 घंटे की अवधि के) स्पष्ट रूप से दर्शाया जाय।
3. कार्य योजना तभी मान्य होगी जब अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से उससे अवगत करा दिया जाय।
4. कार्ययोजना का प्रारूप निम्नवत होगा–

सत्र 2023–24 में राष्ट्रीय सेवा योजना सामान्य कार्यक्रम कार्य योजना

महाविद्यालय का नाम–

इकाई संख्या–

छात्र संख्या–

कार्यक्रमाधिकारी का नाम–

चयनित ग्राम/मलिन बस्ती का नाम तथा महाविद्यालय से इसकी वास्तविक दूरी–

प्रस्तावित कार्यक्रम/गतिविधियां

क्र0सं0	तिथि	अवधि	आयोजन स्थल	कार्यक्रम

 कसेह

Scanned with OKEN Scanner

नोट— चयनित ग्राम/मलिन बस्ती हेतु यद्यपि 8 किमी सीमा निर्धारित है तथापि व्यावहारिक रूप से ऐसे गांव/बस्ती चयनित किये जाय जो न्यूनतम दूरी पर हो तथा जहां वास्तव में योजना (रा0से0यो0) की आवश्यकता है एवं वहां आसानी से पहुंचा जा सकता है।

11. **स्वामी विवेकानन्द एन0एस0एस0 पुरस्कार—** विश्वविद्यालय स्तर पर विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के रा0से0यो0 के 5 श्रेष्ठ स्वयंसेवकों व 5 श्रेष्ठ कार्यक्रमाधिकारियों को प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वामी विवेकानन्द पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा। पुरस्कार के लिए कम से कम 2 वर्ष से कार्यरत व प्रशिक्षित कार्यक्रम अधिकारी तथा 02 वर्ष तक स्वयं सेवक रहे छात्र/छात्राएं अर्ह (Eligible) हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने महाविद्यालय के 01 अर्ह एवं उत्कृष्ट कार्यक्रमाधिकारी व 01 स्वयं सेवक का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर उपलब्धियों के विवरण, फोटोग्राफ तथा समाचार पत्रों के कतरन सहित 31 मई, 2024 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को अवश्य उपलब्ध करा दें। निर्धारित प्रारूप यदि उपलब्ध न हो तो उसे विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। आपके द्वारा प्रेषित प्रस्तावों पर निर्णय उचित समिति द्वारा लिया जायेगा।

12. **ग्राम/मलिन बस्ती सर्वेक्षण—** प्रत्येक राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा चयनित ग्राम/मलिन बस्ती में सर्वेक्षण कार्य किया जाना अनिवार्य है। यह कार्य किसी भी एक दिवसीय शिविर (चतुर्थ एक दिवसीय शिविर को छोड़कर) के दौरान स्वयंसेवकों द्वारा किया जा सकता है। यह सर्वेक्षण विशेष शिविर की कार्य योजना बनाने में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होता है। विशेष कार्याधिकारी रा0से0यो0 प्रकोष्ठ द्वारा पूर्व में एक ग्राम सर्वेक्षण प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है। जिन महाविद्यालयों में उक्त प्रपत्र न हों वे विश्वविद्यालय रा0से0यो0 कार्यालय से उक्त प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। उक्त सर्वेक्षण प्रपत्र में स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है। सर्वेक्षण द्वारा संकलित तथ्यों का प्रतिवेदन वार्षिक आख्या के साथ प्रेषित करना भी अनिवार्य हैं

13. **विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना वेबसाइट :—** राष्ट्रीय सेवा योजना, चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया की वेबसाइट का निर्माण प्रस्तावित है। वेबसाइट पर महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय परिसर के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा आयोजित गतिविधियों/कार्यक्रमों की आख्या, फोटोग्राफ एवं अखबारों की कटिंग दिन—प्रतिदिन अपलोड किये जाते रहेंगे। वेबसाइट की देखरेख एवं सूचनाओं को अपलोड करने का दायित्व अधोहस्ताक्षरी का रहेगा, इसके साथ ही साथ आपसे यह भी अपेक्षित है कि

Scanned with OKEN Scanner

नियमित रूप से विश्वविद्यालय रा0से0यो0 के वेबसाइट का अवलोकन करते रहें क्योंकि समस्त सूचनायें वेबसाइट के माध्यम से आपको प्रेषित की जायेंगी।

14. वित्तीय वर्ष के समाप्ति के तुरन्द बाद प्रमाण–पत्र पाने के अर्ह स्वयंसेवकों को प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने हेतु सादा प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त कर लिया जाय तथा उसे पूरित कर (कार्यक्रम अधिकारी व प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं मुहर के उपरान्त) अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाय ताकि उसे कार्यक्रम समन्वयक व माननीय कुलपति जी के हस्ताक्षर के उपरान्त महाविद्यालय को प्रेषित किया जा सके। इस हेतु विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय से सादा प्रमाण–पत्र प्राप्त करने से पूर्व प्रमाण–पत्र हेतु अर्ह स्वयंसेवकों/स्वयंसेविकाओं की प्रमाणित सूची अधोलिखित प्रोफार्मा पर उपलब्ध कराना अनिवार्य है अन्यथा सादा प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। यह प्रोफार्मा (प्रारूप) निम्नवत् है :–

क्र0सं0	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	कक्षा	सामान्य कार्यक्रम के सत्र जिसमें छात्र/छात्रा द्वारा कार्य किया गया हो		विशेष शिविर की तिथियां जिसमें छात्र/छात्रा द्वारा सहभागिता की गयी हो	
				प्रथम सत्र	द्वितीय सत्र	दिनांक से दिनांक तक	दिनांक से दिनांक तक

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त स्वयंसेवक/स्वयंसेविका ने 240 घण्टा एवं दो वर्ष कार्य पूर्ण करते हुए सात दिवसीय विशेष शिविर में भाग लिया है।

हस्ताक्षर प्राचार्य
(मुहर सहित)

हस्ताक्षर कार्यक्रमाधिकारी
(मुहर सहित)

15. जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया/सम्बद्ध महाविद्यालयों के राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारियों का आधारभूत प्रशिक्षण माह फरवरी, 2024 में प्रस्तावित है। उक्त प्रशिक्षण में प्रत्येक कार्यक्रमाधिकारी की सहभागिता अनिवार्य है।

16. अधोलिखित विवरण अधोहस्ताक्षरी को 31 जनवरी, 2024 तक अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये :–

a) पंजीकरण सम्बन्धी प्रपत्र, पंजीकरण शुल्क व इकाई गठन की सूचना
b) नियमित कार्यक्रम की कार्य योजना

Scanned with OKEN Scanner

c) सलाहकार समिति की बैठक की कार्यवृत्त/आख्या
d) एक दिवसीय शिविर एवं सात दिवसीय विशेष शिविर के आयोजन का प्रस्ताव
e) रेड रिबन क्लब गठन हेतु पूरित प्रपत्र
f) ऐसे कार्यक्रमाधिकारी जिन्होंने अभिविन्यास प्रशिक्षण में सहभागिता नहीं की है, के द्वारा यह सूचना कि वे किस अभिविन्यास प्रशिक्षण में सहभागिता कर रहें (लिखित रूप में) ?

17. **एकदिवसीय शिविर** :– जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया से सम्बद्ध महाविद्यालयों के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाईयों द्वारा प्रथम तीन एक दिवसीय शिविरों का आयोजन अधोलिखित में से किन्हीं तीन तिथियों में आयोजित किये जायेंगे, जबकि चतुर्थ एक दिवसीय का आयोजन विशेष शिविर आयोजन के एक सप्ताह के भीतर किया जायेगा। एक दिवसीय शिविरों के आयोजन की सूचना स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पत्र द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को कम से कम 15 दिन पूर्व अवश्य प्रेषित कर दी जानी चाहिए अन्यथा की स्थिति में शिविर का आयोजन स्वतः ही अमान्य हो जायेगा तथा इस सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की सफाई या आख्या मान्य नहीं होगी। एक दिवसीय शिविरों का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वरा कभी भी किया जा सकता है। एक दिवसीय शिविरों का निरीक्षण न तो कार्यक्रम समन्वयक के अतिरिक्त किसी के द्वारा किया जायेगा न ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गयी निरीक्षण आख्या मान्य नहीं होगी। एक दिवसीय शिविरों के आयोजन का समय प्रातः 09:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक है। इस समय में यदि कोई परिवर्तन करना है तो इससे भी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को लिखित रूप से अवगत कराना होगा। प्रत्येक एक दिवसीय शिविर में कार्यक्रमाधिकारी एवं 100 पंजीकृत स्वयंसेवकों की उपस्थिति अनिवार्य है। तीन एक दिवसीय शिविरों के आयोजन के उपरान्त ही सात दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन मान्य होगा। एक दिवसीय शिविरों का आयोजन चयनित मलिन बस्ती/ग्राम में ही करना अनिवार्य है। चारों एक दिवसीय शिविर समाप्त हो जाने के 15 दिन के भीतर स्वयंसेवकों के उपस्थिति पंजिका की छायाप्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय। एक दिवसीय शिविरों के आयोजन हेतु प्रस्तावित तिथियां निम्नलिखित हैं :–

1. 11 फरवरी, 2024	रविवार
2. 14 फरवरी, 2024	बुधवार
3. 18 फरवरी, 2024	रविवार
4. 24 फरवरी, 2024	शनिवार

Scanned with OKEN Scanner

5. 25 फरवरी, 2024 रविवार
6. 3 मार्च 2024 रविवार

नोट :– उपरोक्त में से किन्हीं तीन तिथियों का चयन कार्यक्रम अधिकारी द्वारा विशेष शिविर आयोजन के पूर्व किया जायेगा तथा अन्तिम एक दिवसीय शिविर का आयोजन सात दिवसीय विशेष शिविर के आयोजन के उपरान्त अपनी सुविधानुसार किया जायेगा परन्तु सभी **एक दिवसीय शिविरों की तिथि** पूर्व से ही निश्चित कर उसकी सूचना से अधोहस्ताक्षरी सहित क्रमांक 18 में उल्लेखित अधिकारियों को भी **कम से कम 15 दिन पूर्व अवगत करा दिया जाना अनिवार्य है। अन्यथा की दशा में शिविर अमान्य कर दिया जायेगा।**

18. **सात दिवसीय विशेष शिविर (दिन–रात)** :– सात दिवसीय विशेष (दिन–रात) शिविर का आयोजन अधोलिखित विवरणानुसार किया जायेगा। इन्हीं तिथियों पर विशेष शिविर का आयोजन अनिवार्य होगा। **विशेष शिविर आयोजन की सूचना उचित प्रारूप पर शिविर प्रारम्भ होने की तिथि से 15 दिन पूर्व पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट** से विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्रेषित नहीं करने की दशा में शिविर अमान्य कर दिया जायेगा। विशेष शिविर दिन–रात का होगा तथा दिवसीय विशेष शिविर किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगे। अतः इस सन्दर्भ में कोई पत्राचार न किया जाय। यह भी सूच्य है कि विशेष शिविर का निरीक्षण क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय (यू.पी.,यू.के.), लखनऊ, विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ एवं कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया द्वारा किसी भी समय (रात या दिन) किया जा सकता हैं। उपरोक्त तीनों अधिकारियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया निरीक्षण मान्य नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति को विशेष शिविर का निरीक्षण करने हेतु अधिकृत किया जाता है तो उसे उपरोक्त वर्णित अधिकारियों में से किसी द्वारा अधिकार पत्र अवश्य प्रदान किया जायेगा। शिविर के दौरान समस्त आवश्यक अभिलेख (पंजीकृत स्वयंसेवकों की उपस्थिति पंजिका, स्टाक पंजिका, कार्यवाही पंजिका, परियोजना प्रस्ताव, स्वयंसेवकों की डायरी आदि) शिविर स्थल पर कार्यक्रमाधिकारियों के पास अवश्य होने चाहिए। निरीक्षण के दौरान इन अभिलेखों की मांग किये जाने पर प्रस्तुत

Scanned with OKEN Scanner

करना अनिवार्य होगा। **सात दिवसीय विशेष शिविर के आयोजन से पूर्व तीन एक दिवसीय शिविरों का आयोजन अनिवार्य है।** सात दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन **चयनित मलिन बस्ती/ग्राम में किया जाना अनिवार्य है।** सभी कार्यक्रमाधिकारियों से अपेक्षित है कि वे अपना मोबाईल नम्बर व ई-मेल अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करा दें। उक्त नम्बर विशेष शिविर के दौरान दिन-रात ऑन रहना चाहिए।

19. भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी इकाइयों की गतिविधियों की मासिक रिपोर्टिंग ई-मेल के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा योजना डॉ. मंजू सिंह, विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, कक्ष संख्या- 47, तृतीय तल, बहुखण्डीय भवन सचिवालय, विधान सभा मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ- 226001 एवं श्री ए. एस. कबीर, क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय (यू.पी.,यू.के.), लखनऊ, केन्द्रीय भवन, आठवां तल, हाल नम्बर-1, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ- 226024 को प्रेषित करना अनिवार्य है। नियमित रिपोर्टिंग न करने वाली इकाईयों को भविष्य में इकाई निरस्त कर दिया जायेगा, इसकी जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी।

20. विश्वविद्यालय परिसर एवं महाविद्यालयों की इकाईयों को निरन्तरता बनाये रखने के लिए विशेष शिविर के आयोजन के 15 दिन के भीतर शिविर की कम से कम 21 पेज की रिपोर्ट कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया को प्रेषित करना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक दिवस की गतिविधियों पर 2 पृष्ठ (7x2=14), प्रत्येक दिन की कम से कम 04 फोटो व न्यूज पेपर कटिंग (चार फोटो प्रति पृष्ठ X7=पृष्ठ) संलग्न होनी चाहिए। रिपोर्ट की साफ्ट कॉपी कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया एवं विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को **क्रमशः उनके ई-मेल आईडी.- nssjncu@gmail.com एवं upsno.luck@gmail.com पर प्रेषित करें।**

21. स्ववित्तपोषित इकाइयों हेतु शासन से कोई अनुदान नहीं होगा।

क्रांति

सात दिवसीय विशेष शिविर की तिथि

समूह (अ) के महाविद्यालय :– 05 मार्च, 2024 से 11 मार्च, 2024

1. गौरीशंकर राय कन्या महाविद्यालय, करनई, बलिया
2. किसान पी0जी0 कालेज, रकसा, रतसड़, बलिया
3. दूजा देवी महाविद्यालय रजौली, सहतवार, बलिया
4. संत ग्राम्यांचल महाविद्यालय, सुरहीं, बलिया
5. शहीद मंगल पाण्डेय राजकीय महिला महाविद्यालय, नगवां, बलिया
6. महेन्द्र सिंह मेमोरियल एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट, कथरिया, नरहीं, बलिया
7. अमरनाथ मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुबे छपरा, बलिया
8. द्वारिका प्रसाद सिन्हा महिला महाविद्यालय, रजवारवीर, बांसडीह, बलिया
9. दुलेश्वरी सुखदेव (डी0एस0) मेमोरियल गर्ल्स डिग्री कालेज, रतसड़, बलिया
10. सतीश चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया
11. कुँवर सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया
12. जमुना राम स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चितबड़ागांव, बलिया
13. जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय परिसर
14. गुलाब देवी महिला महाविद्यालय, बलिया
15. गोपाल जी महाविद्यालय, रेवती, बलिया
16. श्री सुदृष्टि बाबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुदृष्टिपुरी, रानीगंज, बलिया
17. गौरी भैया महाविद्यालय, सागरपाली, बलिया
18. कमला देवी बाजोरिया डिग्री कालेज, दुबहर, बलिया
19. अनिरुद्ध यादव महाविद्यालय, पुर, बलिया

समूह (ब) के महाविद्यालय :– 12 मार्च, 2024 से 18 मार्च, 2024

1. शिवराज स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर, रसड़ा, बलिया
2. तिलेश्वरी देवी महाविद्यालय, गौरा, पताई, बलिया
3. श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया
4. हीरानन्द महाविद्यालय, नरायनपुर, रसुलपुर, रसड़ा, बलिया
5. श्री नरहेजी महाविद्यालय, नरहीं, रसड़ा, बलिया

Scanned with OKEN Scanner

6. राधामोहन किसान मजदूर पी0जी0 कालेज, नियामतपुर, कन्सो, बलिया

7. देवेन्द्र पी0जी0 कालेज, बेल्थरा रोड, बलिया

8. श्री राजनारायण महाविद्यालय, भीमपुरा नं0–2, बलिया

9. बाबा मथुरादास सीताराम महाविद्यालय, चिलकहर, बलिया

10. पृथ्वी शिव किसान मजदूर पी0जी0 कालेज, श्रीनाथ रोशन नगर, रसड़ा, बलिया

11. मथुरा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रसड़ा, बलिया,

12. श्री बजरंग स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दादर आश्रम, सिकन्दरपुर, बलिया

13. श्री स्वामीनाथ सिंह् सुरेन्द्र महाविद्यालय, धरमपुर काजीपुर, बलिया

14. श्रीनाथ बाबा महाविद्यालय, इसारी, सलेमपुर, बलिया

15. श्रीमती फुलेहरा स्मारक पी. जी. कालेज, कमतैला, रसड़ा, बलिया

राष्ट्रीय सेवा योजना सामान्य कार्यक्रम एवं विशेष शिविर के प्रभावी आयोजन हेतु उपलब्ध धनराशि का विवरण पत्र अधोलिखित है। कृपया विवरणानुसार ही व्यय सुनिश्चित करें। किसी भी दशा में इससे अधिक धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

सामान्य कार्यक्रम

क्र0 सं0	मद	दर	इकाई हेतु अधिकतम उपलब्ध राशि (रूपये में)
1	कार्यक्रम अधिकारी को आउट ऑफ पॉकेट एलाउन्स	500 प्रतिमाह	6000/–
2	अंशकालिक लिपिक को आउट ऑफ पॉकेट एलाउन्स	185 प्रतिमाह	2200/–
3	अंशकालिक परिचर को आउट ऑफ पॉकेट एलाउन्स	125 प्रतिमाह	1500/–
4	स्टेशनरी		3000/–
5	उपकरण		3000/–
6	सामान्य कार्यक्रम		9000/–
7	चार एक दिवसीय शिविर	रू0 20 प्रति छात्र	8000/–
8	कार्यक्रम अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण पर यात्रा व्यय		1300/–
9	अनुषांगिक व्यय (प्रति यूनिट)		500/–
		कुल योग :–	**34500/–**

विशेष शिविर :– विशेष शिविर (दिन–रात) का सात दिन का होगा, जिसमें प्रति स्वयंसेवक रूपये 700/– के दर से अर्थात् 50 छात्रों हेतु अधिकतम रूपये 35000/– एक इकाई पर व्यय हेतु प्राप्त होगा।

Scanned with OKEN Scanner

(नोट—दिवसीय विशेष शिविर मान्य नहीं होगा परन्तु यदि निरीक्षण के दौरान यह पाया जाता है कि शिविर मात्र दिन में ही आयोजित हुए हैं, तो ऐसी दशा में उस इकाई को रूपये 20 प्रति स्वयंसेवक प्रतिदिन की दर से ही भुगतान किया जायेगा।)

राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमों के आयोजन के सन्दर्भ में किसी भी अन्य जानकारी हेतु कार्यक्रम समन्वयक के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है। आशा है कि आप सभी के सहयोग से वर्ष पर्यन्त राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियां सुचारू ढंग से संचालित होती रहेंगी।

संलग्नक :— यथोपरि।

भवदीय,

डॉ0 कृष्ण कुमार सिंह,
कार्यक्रम समन्वयक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. कार्यक्रम सलाहकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग, राष्ट्रीय सेवा योजना, शास्त्री भवन, नई दिल्ली- 110001।
2. डॉ. मंजू सिंह, विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, कक्ष संख्या- 47, तृतीय तल, बहुखण्डीय भवन सचिवालय, विधान सभा मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ- 226001 ।
3. ए. एस. कबीर, क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय (यू.पी.,यू.के.), लखनऊ, केन्द्रीय भवन, आठवां तल, हाल नम्बर-1, सेक्टर—एच, अलीगंज, लखनऊ- 226024
4. निजी सचिव के माध्यम से माननीय कुलपति, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
5. वित्त अधिकारी, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
6. कुलसचिव, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
7. कार्यालय प्रभारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
8. प्रभारी—वेबसाइट को इस आशय से कि इसे वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।

भवदीय,

डॉ0 कृष्ण कुमार सिंह,
कार्यक्रम समन्वयक

Scanned with OKEN Scanner